

राजस्थान - सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्रमांक: न्यायालय/न्यायशुल्क रिफण्ड/2019/7097


दिनांक- 30.12.2019

2019  
00504

:: आदेश ::


पीठासीन अधिकारी किराया अधिकरण भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 77/2018 में लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि वादी श्रीमती राजकुमारी जीनगर पत्नी स्व. भंवर लाल जीनगर निवासी ए - 75 शास्त्री नगर भीलवाड़ा धारा 65(ख) कोर्ट फीस एक्ट के तहत कोर्ट फीस वापस प्राप्त करने के अधिकारी हैं और आदेशानुसार प्रकरण में 24,450/- अक्षरे चौबीस हजार चार सौ पचास रुपये मात्र न्याय शुल्क लौटाये जाने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है मूल स्टाम्प वाद के साथ उक्त न्यायालय में है।

अतः न्यायालय आदेशानुसार वादी श्रीमती राजकुमारी जीनगर पत्नी स्व. भंवर लाल जीनगर निवासी ए - 75 शास्त्री नगर भीलवाड़ा को 24,450/- अक्षरे चौबीस हजार चार सौ पचास रुपये मद 0030 में वापिस करने (रिफण्ड) की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

- 1 पीठासीन अधिकारी किराया अधिकरण भीलवाड़ा, को उनके प्रमाण पत्र क्रमांक 1005 दिनांक 20.11.2019 संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें एवं संलग्न प्रपत्र पार्ट तृतीय की पूर्ति की जाकर सम्बन्धित न्यायालय में भिजावें।
- 3 कोषाधिकारी भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें।
- 4 वादी श्रीमती राजकुमारी जीनगर पत्नी स्व. भंवर लाल जीनगर निवासी ए - 75 शास्त्री नगर भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।

  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा